

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश**

10प्र0-01-43/2025 434 /पटना, दिनांक- 4.8.25

प्रीति रानी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, रहुई, प्रमंडल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 04.08.2025 से 30.01.2026 तक अपने प्रथम संतान हेतु उपभोग किये जाने वाले कुल 180 दिनों के अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती प्रीति रानी, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-43/2025

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-43/2025

8376

/पटना, दिनांक-4.8.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-1, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/श्रीमती प्रीति रानी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, रहुई, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव